

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11 खंड 3 के उप खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

12 जून, 2017

अधिसूचना

सा. आ..... जबकि एक डिलन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड बेल 206 बी 3 हेलीकाप्टर, VT-DDA, 26.04.2017 को सिकमा (छत्तीसगढ़), चिंतागुफा हेलीपैड में एक दुर्घटना का शिकार हो गया था।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को यह उचित प्रतीत होता है कि इस दुर्घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस दुर्घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार श्री आर एस पासी, डिप्टी निदेशक, एएआईबी, की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य को शामिल कर जांच समिति नियुक्त करती है:-

- (i) श्री के रामचंद्रन, विमान सुरक्षा अधिकारी, एएआईबी सदस्य के रूप में
- (ii) कैप्टन इरशाद अहमद, एएआईबी पूल ऑफ़ एक्सपर्ट्स

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।



(सत्येंद्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.एवी-15013/8/2017-डीजी
सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी
बाहरी रिंग रोड, नई दिल्ली

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUB-SECTION (ii) OF THE
EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI

12 June, 2017

NOTIFICATION

S.O.... Whereas an M/s Dhillon Aviation Pvt. Ltd. Bell 206 B3 helicopter VT-DDA, was involved in an accident at Chintagufa helipad, Sukma (Chhattisgarh) on 26.04.2017.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said accident and make recommendations to avoid recurrence of such accidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rule 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the accident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Sh. R S Passi, Deputy Director, AAIB with following member:

- (i) Shri K Ramachandran, Air Safety Officer as member
- (ii) Capt. Irshad Ahmed, AAIB Pool of Experts

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.



(Satyendra Kumar Mishra)
Joint Secretary to Govt. of India

No. AV-15013/8/2017-DG

To,
The Manager,
Govt. of India Press, Mayapuri
Outer Ring Road, New Delhi